

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-39/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० शाजिया नूर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढी का विभागीय आदेश संख्या-1519(2) दिनांक-29.10.2024 द्वारा दिनांक-01.06.2024 से 17.07.2024 तक कुल-47 (सैंतालीस) दिनों एव दिनांक-01.10.2024 से 31.03.2025 तक कुल-182 (एक सौ बयासी) दिनों की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था। उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढी के ज्ञापांक-39 दिनांक-13.02.2025 द्वारा अग्रसारित आवेदन तथा वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1410(25) दिनांक-07.08.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में दिनांक-01.04.2025 से 20.08.2025 तक कुल-112 (एक सौ बारह) दिन उपभोगित अवकाश अवधि को शिशु देखभाल के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० शाजिया नूर के पक्ष में 389 (तीन सौ नवासी) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-2/एल-39/2024-

618(2)

पटना, दिनांक 24/3/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सीतामढी/ उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सीतामढी/डा० शाजिया नूर, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बेलसंड, सीतामढी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

विनोद कुमार पाठक
सरकार के उप सचिव